

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर (राज.)।
परिवहन शाखा

क्र.सं.		धारा 4(1)(ख) के तहत 17 श्रेणियों का विवरण
1.	संगठन का विवरण अनुभाग।	राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर (राज0) परिवहन शाखा
2.	अधिकारियों/ कर्मचारियों के कर्तव्य एवं शक्तियाँ।	(क) सहायक निदेशक (आउटडोर) परिवहन शाखा से संबंधित समस्त कार्यों का प्रबन्धन एवं पर्यवेक्षण। (ख) प्रभारी परिवहन शाखा परिवहन शाखा की देखभाल एवं कार्यक्रमों का सम्पादन। (ग) सहायक स्टाफ(चालक) वाहनों का रख-रखाव एवं प्रदत्त कार्यों का सम्पादन।
3.	निर्णय बनाने के लिए प्रक्रिया।	सहायक निदेशक(आउटडोर) के एवं समुचित माध्यम द्वारा प्रस्ताव प्रेषित कर निदेशक महोदय के अनुसार निर्णय किये जाते हैं।
4.	कार्यों के निर्वहन के लिए मानदण्ड।	कार्यों निर्वहन के मानदण्डों को नियमानुसार ध्यान में रखते हुए परिवहन शाखा के निर्धारित समस्त कर्तव्य सम्पादन। परिवहन शाखा के दायित्वों के संबंध में मानक कार्य प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के अनुसार विविध कार्यों का सम्पादन।
5.	कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम।	➤ कार्य निर्धारण हेतु परिवहन शाखा हेतु द्वारा जारी मानक कार्य प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के तहत कार्य निष्पादन पालन करवाना। ➤ समय समय पर जारी अन्य विनियम
6.	श्रेणियों का विवरण।	<ul style="list-style-type: none"> ● स्टॉक रजिस्टर ● कण्डम स्टॉक रजिस्टर ● वाहन हिस्ट्रीशीट रजिस्टर ● कमेटी रजिस्टर ● वाहन निजी पत्रावली, ● टायर ट्यूब बैटरी स्टॉक रजिस्टर, ● वाहन स्टॉक रजिस्टर, ● पीऑयल रजिस्टर का नियमानुसार संधारण।
7.	बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण।	लागू नहीं।

8.	परामर्शदात्री समितियां अन्य निकायों का विवरण।	लागू नहीं।
9.	अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका।	सहायक निदेशक (आउटडोर), फोन न0 0141-2302633 पी.बी एक्स 506.
10.	अधिकारियों/कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक।	लेखा शाखा
11.	बजट प्रत्येक एजेन्सी को आंवटित।	लेखा शाखा
12.	सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन।	लागू नहीं।
13.	रियायते, परमिट पाने वाले का ब्यौरा।	लागू नहीं।
14.	एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सूचना।	राजस्थान पुलिस अकादमी की वेबसाइट पर से।
15.	नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं।	सहायक निदेशक(प्रशासन) आर.पी.ए., जयपुर को आवेदन कर, उनके निर्देशानुसार कार्य।
16.	लोक सूचना अधिकारियों के नाम एवं पदनाम विशिष्टयां।	सहायक निदेशक (प्रशासन) लोक सूचना अधिकारी एवं निदेशक आरपीए प्रथम अपिल अधिकारी
17.	ऐसी अन्य सूचनाएं।	विभाग द्वारा समय-समय सम्बन्धित सूचना को प्रकाशित किया जाता है।